माननीय सुश्री हिमा कोहली, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की अध्यक्षता में 28 मार्च, 2020 को सायं 3.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक के कार्यवृत्त

बैठक मेंविडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्चाधिकार समिति के निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों ने भाग लिया:

1. श्री सत्य गोपाल, प्रमुख सचिव, (गृह)/अतिरिक्त मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार .... **सदस्य**
2. श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल), दिल्ली....................**सदस्य।**
3. श्री कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DSLSA)

एजेंडा : भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Suo Motu Petition (Civil) No. 1/2020– *In Re: Contagion of COVID-19दिनांक 23.03.2020*में जारी किए गए निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन

वैश्विक स्तर पर कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस) के प्रसार और WHOके द्वारा घोषित महामारी को देखते हुए माननीय शीर्ष अदालत ने उपरोक्त वर्णित Suo Motu Writ Petitionके माध्यम से जेलों में बहुत भीड़ को देखते हुए इस मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त की।

माननीय शीर्ष अदालत ने **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रसार को रोकने और **सामाजिक दूरी** के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होने संबंधित सरकारों/विभागों को जेलों में भीड़ कम करने के लिए विविध उपाय अपनाने के लिए कहा।इसके अतिरिक्त उन्होने राज्य सरकारों को एक **उच्चाधिकार समिति** का गठन करने के लिए कहा जिसमें शामिल होंगे

(क) राज्य विधिक सेवाएं समिति के कार्यकारी अध्यक्ष

(ख) प्रधान सचिव (गृह/जेल)

(ग) महानिदेशक (जेल),

यह निर्धारित करने के लिए कि किस श्रेणी के कैदियों और विचाराधीन कैदियों को **पैरोल** या **अंतरिम जमानत** पर किस अवधि के लिए रिहा किया जा सकता है, जो उचित हो सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने पत्रांक F-9/63/2020/HG/1409 दिनांक26.03.2020 के द्वारा वर्तमान उच्चाधिकार समिति का गठन कर दिया। जो कि, माननीय शीर्ष अदालत के द्वारा दिए गए निर्देश से निकलेइस मुद्दे परविडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विचार विमर्श करेंगे।

आइटम न. 1:कैदियों की सुरक्षा, स्क्रीनिंग, पहचान, उपचार, न्यूनीकरण और स्थानांतरण

श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि पूरी दिल्ली में स्थित तिहाड़, रोहिणी और मंडोली में कुल **16 जेलें** है, इन सब को मिलाकर इन सब में 10,026 कैदियों को रखने की क्षमता है। उन्होने सूचित किया कि दिनांक 27.03.2020 तक **17,440** कैदी हैं जिसमें (2997 दोषी, 14355 विचाराधीन कैदी और 88 सिविल कैदी) शामिल हैं।

महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि उन्होने स्वयं जेल स्टाफ, दिल्ली सरकार के गृह विभाग के साथ–2 जेल के डाक्टरों की सहायता से कैदियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए उचित उपाय किए हैं जिससे किकोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस) के प्रसार को रोका जा सके।

अध्यक्ष के द्वारा पूछे जाने पर महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि उन्होने प्रत्येक जेल की क्षमता को ध्यान में रखते हुए 16 जेलों में कैदियों को रखा गया है जिससे कि किसी भी जेल में भीड़ न हो या अन्यजेलों में क्षमता से कम कैदी न हो। इस सूचना को दृष्टि में रखते हुएयह **निर्णय** लिया गया कि कैदियों को एक जेल से दूसरी जेल में **स्थानांतरित** करने की कोई **आवश्यकता नही** है।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को यह भी सूचित किया कि उन्होने उचित उपाय अपनाए हैं जैसे कि कैदियों और जेल स्टॉफ को आवश्यक मेडिकल सुविधाएं, जेल परिसर को नियमित रूप से सेनेटाइज किया जाना और प्रत्येक कोने में सफाई। उन्हाने आगे सूचित किया कि उन्होंने **मास्क,दस्ताने भी प्रदान** किए हैं और सामूहिक समारोह से बचने के लिए उन्होने कैदियों के सांस्कृतिक और **सामूहिक क्रियाकलापों**पर रोक के साथ –2 कैदियों से मिलने आने वाले आगुंतकों की **भेंट को भी सीमित**कर दिया है।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को बताया कि नहाने का क्षेत्र, रसोईघर का क्षेत्र, जेल टेलिफोन क्षेत्र जल्दी–2 साफ और कीटाणुरहित किए जाते हैं। अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि सामाजिक दूरी के लिए चॉक से निशान बनाए जा सकतें हैं जिसे महानिदेशक (जेल) ने मान लिया।

अध्यक्ष ने प्रस्तावित किया कि आवश्यक सावधानियों के विषय जेल अधीक्षको के द्वारा कैदियों को जागरूक किया जा सकता है। जेल परिसर में लगाए गए **"पब्लिक**

एड्रेस सिस्टम" के माध्यम से आपस में **उचित दूरी** बनाए रखने के फायदे बता सकतें हैं जिस पर महानिदेशक (जेल) ने कहा कि उन्होने पहले से ही यह कर दिया है और समिति को आश्वासन दिया किवे इसे जारी रखेंगे।

अध्यक्ष को आगे बताया गया कि आई.ई.सी. मैटीरियल को जेल के अंदर और प्रवेश वाले स्थान पर लगा दिया गया है जिसमें कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए कैदियों को क्या करना चाहिए क्या नही, लिखा हुआ है।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को आगे बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप और और सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की सहायता से विचाराधीन कैदियों को कोर्ट की सुनवाई एवं रिमांड बढ़ाने के समय पेश नही किया जा रहा। लगाए गए डयूटी मजिस्ट्रेट आवश्यक उपाय अपनाकर आवश्यक कार्यवाही कर रहें हैं।

महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि उचित उपाय जैसे **एकांत वार्ड**, 4 दिनों की अवधि के लिए नए कैदी जिनमें विदेशी भी शामिल हैं, के लिए **अलगाव वार्ड** के साथ–2 कोविड –19 के **प्रारंभिक परीक्षण** भी किए जा रहें हैं।यह **निर्णय** लिया गया कि नए विदेशी प्रवेशकों जिनको बुखार/फ्लू है उन्हें कम से कम **15 दिन** के लिए एकांत/अलगाव वार्ड में रखा जाए। महानिदेशक (जेल) ने कहा कि वे इसे कर रहें हैं और इसे जारी भी रखेंगे।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को यह सूचित करने पर कि वे अपने उपभोग के लिए साबुन, लिक्विड सोप, फिनाइल, मास्क और सैनिटाइजर जेल में ही बनाते हैं, अध्यक्ष ने पूछा कि क्या इसे हम जेजेबी में भेज सकतें हैं जिस पर महानिदेशक (जेल) तुरंत सहमत हो गए उन्होने आश्वासन दिया किवे एक सप्ताह के भीतर वहां भेजना आरंभ कर देंगे।

महानिदेशक (जेल) यह तथ्य भी अध्यक्ष की जानकारी में लाए कि आज तक 16 जेलों में से किसी भी **कैदी को कोविड –19 के लक्षण नही** हैं।

अध्यक्ष के कहने पर यह **निर्णय** हुआ कि कैदियों को व्यक्तिगत रूप से भेंट करने वालों में **कटौती**कर दी जाए। उन्हें केवल आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाउपाय जिसमें टेलिफोन का सेनिटाइजेशन सम्मिलित है, करने के पश्चात ही अपने परिवार के सदस्यों से जेल के टेलीफोन से बात करने की आज्ञा दी जाए। यह आगे निर्णय हुआ कि CMO और अन्य डाक्टरों को यह सलाह दी जाए कि वे **जल्दी –2** कैदियों का **परीक्षण** करें और यदि वे किसी कैदी में कोविड–19 के लक्षणों से संबंधित कोई संदिग्ध पातें हैं तो स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तुरंत ऐसे कैदी के लिए एकांत/ उपचार के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए जेल अधीक्षक के नोटिस में जल्द से जल्द लाएं।

आइटम न. 2: जेलों में भीड़ कम करने के लिए पहले अपनाए गए मानदंडों के प्रभाव का जायजा

दिल्ली राज्य विधिक सेवांए प्राधिकरण (DSLSA) के सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा ने समिति को सूचित किया कि माननीय शीर्ष अदालत के आदेश के तुरंत पश्चात और समिति के अध्यक्ष का आदेश प्राप्त होने पर उन्हाने जेल के संबंधित अधिकारियों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया जिससे कि दिल्ली जेल नियम में **आपातकालीन पैरोल** का प्रावधान डाल सकें।

उन्हाने आगे समिति को महानिदेशक (जेल) से प्राप्त पत्र के विषय में सूचित किया जिसके पश्चात उन्होने समिति के माननीय अध्यक्ष को सूचना देते हुए कहा कि प्रत्येक जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DLSA) के सचिव को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच द्वारा पारित आदेश केस शीर्षक **"शोभा गुप्ता एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य"**W.P.(C) No. 2945 of 2020 दिनांक 23. 03.2020 के आदेश में वर्णित मानदंडो में आने वाले विचाराधीन कैदियों के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए थे। जिससे कि जरूरतमंद विचाराधीन कैदियों को **अंतरिम जमानत** पर छोड़ा जा सके। अपनाए गए मानदंड निम्नलिखित थे –

(क) विचाराधीन कैदी पहली बार मुजरिम बना हो।

(ख) विचाराधीन कैदी को गिरफ्तार किया गया हो अथवा वह उस अपराध के लिए मुकदमें का सामना कर रहा हो जिसकी सजा सात साल तक हो।

(ग) मामला मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य हो

(घ) विचाराधीन कैदी पिछले 3 महीने या अधिक से हिरासत में हो।

मानदंडों के आधार पर विचाराधीन कैदी की पहचान जेल प्रशासन द्वारा किए जाने के पश्चात संबंधित जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DLSA)के**पैनल अधिवक्ताओं** के द्वारा**अंतरिम जमानत** के लिएप्रार्थना पत्र कोर्ट में दायर किए गए। डयूटी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रों पर विचार किया गया और आवश्यक आदेश भी पास किए गए।

(ए) दोषियों की पैरोल/फरलो केसंबंध में परिणाम

श्री सत्य गोपाल, प्रमुख सचिव, (गृह)/अतिरिक्त मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने समिति को बताया कि **आपातकालीन पैरोल** का प्रावधान दिल्ली जेल नियम में डालने के संबंध में आवश्यक संशोधन अधिसूचना न. 18/191/2015/HG/1379-1392 दिनांक 23.03.2020 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,

दिल्ली द्वारा जारी किया जा चुका है। प्रमुख सचिव, (गृह) के साथ–2 महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि उस अधिसूचना के आधार पर आपातकालीन पैरोल 8 सप्ताह के लिए प्रदान की जा सकती है इस संबंध में आदेश, गृह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के द्वारा आदेश सं. F18/191/2015/HG/1428-1438दिनांक 27.03.2020 के द्वारा पास हो चुके हैं।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि गृह विभाग के द्वारा पास आदेश के साथ–साथ**8 सप्ताह** के लिए आपातकालीन पैरोल के संबंध में जारी अधिसूचना के आधार पर उन्होने इसके लिए गठित समिति से गृह विभाग के दिनांक 27.03.2020 के आदेश के द्वारा **63 दोषियों** को पैरोल प्रदान करने की पहले ही स्वीकृति ले ली है। उन्होने अध्यक्ष को आगे सूचित किया कि आपातकालीन पैरोल के इस प्रावधान केद्वारा वे 1500 कैदियों को 8 सप्ताह के लिए रिहा करने की स्थिति में हैं।

अध्यक्ष के यह कहने पर कि प्रक्रिया में तेजी लाओ महानिदेशक (जेल) ने आश्वस्त किया कि यह सारा कार्य अगले 4 दिनो में पूरा हो जाएगा।

(बी) विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत के संबंध में परिणाम

श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल) के साथ–2 दिल्ली राज्य विधिक सेवांए प्राधिकरण (DSLSA) के सदस्य सचिव, कंवलजीत अरोड़ा ने समिति को सूचित किया किDLSAs द्वारा दायर प्रार्थना पत्र के अनुसार उपरोक्त वर्णित दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित **शोभा गुप्ता के केस** में पारित आदेश जो कि शीर्ष अदालत के निर्णय के अनुरूप हैं, में वर्णित मानदंडो के आधार परआज तक **382** विचाराधीन कैदियों को पहले ही **अंतरिम जमानत** पर छोड़ा जा चुका है और उस पर डयूटी मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश पास हो चुका है, जिससे कि जेलों में भीड़ कम हो सके।

अतः **461 विचाराधीन कैदियों** को अंतरिम जमानत प्रदान की जा चुकी है और बाकियों को रिहा करने की प्रक्रिया जारी है।

हालांकि समिति की यह राय है कि जेल की वर्तमान जनसंख्या को **अभी और कम** किए जाने की आवश्यकता है। जिसके लिए सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किया गया कि कैदियों के वर्गों में और ढील देनी चाहिए जिससे **वो भी अंतरिम जमानत पर रिहा हो सकें।**

आइटम न. 3:–विचाराधीन कैदियों के नए वर्ग पर विचार करना जिन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा कर सकें।

दिल्ली राज्य विधिक सेवांए प्राधिकरण (DSLSA) के सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा ने समिति को सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की ओर से वर्तमान समिति के बनने का पत्र प्राप्त होते ही, माननीय अध्यक्ष के निर्देश पर महानिदेशक (जेल) से दिनांक 26.03.2020 के पत्र द्वारा अनुरोध किया गया था कि वे प्रभावी विश्लेषण जैसे कि विचाराधीन कैदियों के लिए **प्रस्तावित लचीले मानदंड** के लिए अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करें। जो कि तदानुसार प्रस्तुत है –

समिति के सदस्यों ने चर्चा की और कैदियों के प्रस्तावित वर्ग पर विचार विमर्श किया कि आज जिन परिस्थितियों में हम है उन परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यतः**व्यक्तिगत बांड** पर कैदियों की निम्नलिखित श्रेणियों को **45 दिनों** के लिए अंतरिम जमानत देने पर विचार किया जा सकता हैः

(1) *विचाराधीन कैदी जो किकिसी एक केस में मुकदमें का सामना कर रहा हैं जिनकी निर्धारित अधिकतम सजा **7 वर्ष** या उससे कम अथवा*

(2) यदिविचाराधीन कैदी के विरूद्ध एक से अधिक मामले हैं और वह एक केस को छोड़कर बाकी केसों में जमानत पर है तो उस पर भी विचार किया जा रहा है और उसके लिए निर्धारित अधिकतम सजा 7 वर्ष या उससे कम है, और यदि

(3) विचाराधीन कैदी एक महीने या अधिक से हिरासत में है।

(4) महिला विचाराधीन कैदी के मामले में, यदिवह 15 दिन या अधिक अवधि से हिरासत पर है।

उपरोक्त श्रेणी में आने वाले विचाराधीन कैदी के अतिरिक्त जो कैदी सिविल कारावास से गुजर रहें हैं उन पर भी **45 दिनों** की अंतरिम जमानत के लिए विचार किया जा सकता है।

आगे यह भी निर्णय लिया गया कि विचाराधीन कैदियों की निम्नलिखित श्रेणी यदि उपरोक्त मानदंडों के अंतर्गत आते भी हैं तो भी उन पर विचार नही किया जाएगा।

1. *वे विचाराधीन कैदी जिनका एनडीपीएस अधिनियम के तहत मध्यस्थ/बड़ी मात्रा में वसूली के लिए परीक्षण चल रहा है।*
2. *वे विचाराधीन कैदी जो पोकसो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत मुकदमें का सामना कर रहें हैं।*
3. *वे विचाराधीन कैदी जो धारा 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी और 376 ई और एसिड हमले के तहत अपराधों के लिए मुकदमें का सामना कर रहें हैं।*

4. *वे विचाराधीन कैदी जो विदेशी नागरिक हैं और*
5. *वे विचाराधीन कैदी जो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (पीसी अधिनियम)/ पीएमएलए के तहत मुकदमें का सामना कर रहें हैं, और*
6. *CBI / ED / NIA / दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ, अपराध शाखा, SFIO आतंकवाद से संबंधित मामलों, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम आदि के तहत मामलों में जांच चल रही है।*

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि इन नए मानदंडों के आधार पर लगभग **800 विचाराधीन कैदी** लाभान्वित होंगे और उनकी रिहाई से जेल की आबादी भी कम होगी।

अध्यक्ष ने डीएसएलए के सदस्य सचिव को निर्देश दिया कि वे लचीले मानदंड के भीतर आने वाले विचाराधीन कैदियों के आवेदनों को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाएं।

समिति के अध्यक्ष ने कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वे जिला न्यायाधीशों से अनुरोध करें कि वे जेल में जाने वाले डयूटी मजिस्ट्रटों के साथ–2 न्यायालय के डयूटी मजिस्ट्रटों को इन आवेदनों को लेने का निर्देश दें। यदि विचाराधीन कैदी जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो वे जेल अधीक्षक की संतुष्टि होने पर **व्यक्तिगत बांड** पर रिहा हो सकतें हैं, ताकि सरकार की सामाजिक दूरी की नीति का पालन किया जा सके।

<u>आइटम न. 4:– सजा की छूट</u>

समिति के सदस्यों ने चर्चा की और इस विषय पर विचार विमर्श किया। यह **निर्णय** लिया गया कियदिः

1) *वे अपराधी जिन्हें **10 वर्ष** की सजा हुई और वे पहले ही हिरासत में **9.5 साल** की सजा पूरी कर चुकें हैं जिसमें नियमित छूट भी सम्मिलित है तो गृह विभाग,राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के द्वारा उन पर **6 महीने की विशेष छूट** के लिए विचार किया जा सकता है।*

2) *वे अपराधी जिन्हें **7 वर्ष** या अधिक की सजा हुई परंतु 10 वर्ष से कम, और उनकी सजा केवल **5 महीने** बाद पूरी हो जाएगीतो उनकी सजा **पर 5 महीने की विशेष छूट** के लिए विचार किया जा सकता है।*

3) *वे अपराधी जिन्हें **5 वर्ष** या अधिक की सजा हुई परंतु 7 वर्ष से कम, और उनकी सजा केवल **4 महीने** बाद पूरी हो जाएगीतो उनकी सजा पर **4 महीने की विशेष छूट** के लिए विचार किया जा सकता है।*

4) *वे अपराधी जिन्हें **3 वर्ष** या अधिक की सजा हुई परंतु 5 वर्ष से कम, और उनकी सजा केवल **3 महीने** बाद पूरी हो जाएगीतो उनकी सजा पर **3 महीने की विशेष छूट** के लिए विचार किया जा सकता है।*

5) *वे अपराधी जिन्हें **1 वर्ष** या अधिक की सजा हुई परंतु 3 वर्ष से कम, और उनकी सजा केवल **2 महीने** बाद पूरी हो जाएगीतो उनकी सजा पर **2 महीने की विशेष छूट** के लिए विचार किया जा सकता है।*

गृह विभाग,राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्लीमहानिदेशक (जेल) के द्वारा इस विषय में सिफारिश प्राप्त होने पर उपरोक्त मानदंडो के आधार पर सजा में विशेष छूट पर शीध्रता से विचार कर सकता है।

अतिरिक्त बिंदुः—

महानिदेशक (जेल) ने उन अपराधियों का मुद्दा उठाया जिनकी अंतरिम जमानत/पैरोल दिनांक 16.03.2020 को या उसके पश्चात समाप्त होने जा रही है।

अध्यक्ष ने सूचित किया कि माननीय उच्च न्यायालय की फुल बेंच ने**Court on its own Motion In RE: Evtension of Interim Orders in W.P.URGENT No-2/2020**के दिनांक 25.03.2020 के आदेश में लंबित मामलो में अंतरिम जमानत/पैरोल को 15.05.2020 तक बढ़ा दिया है। अतः वे कैदी जिनकी पैरोल/अंतरिम जमानत 16.03.2020 या उसके पश्चात समाप्त होनी थी उन्हें केवल दिनांक 15.05.2020 को आत्मसमर्पण के लिए कहा जाए।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि माननीय उच्च न्यायालय के फुल बेंच के आदेश को दृष्टि में रखते हुए वे इन मामलों को निरस्त करने के संबंध में वही दृष्टिकोण अपनाएगे।

अतः यह **निर्णय** हुआ कि जैसा कि ऊपर कहा गया है इससे अपराधियों की अंतरिम राहत/विचाराधीन कैदियों को **पैरोल/अंतरिम जमानत** अपने आप बढ़ने से याचिकाएं/आवेदन अपने आप **निरस्त** हो गए।

समिति ने विचार विमर्श के दौरान संपूर्ण राष्ट्र के 21 दिनों के लॉकडाउन पर भी विचार किया और उसी के अनुसार यह **निर्णय**हुआ कि महानिदेशक (जेल) छोड़े गए अपराधियों/विचाराधीन कैदियों को जेल से सुरक्षित उनके घर पहुंचाने के लिए दिल्ली पुलिस के नोडल अधिकारी के साथ समन्वय करेंगे।

यदि छोड़े गए अपराधी/विचाराधीन कैदी किसी अन्य राज्य का है तब महानिदेशक (जेल), जहां छोड़ा गया कैदी निवास करता है, उस जिले/राज्य के

SSP से समन्वय करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह जेल से रिहा होने के पश्चात सुरक्षित अपने घर पहुंच गया/गई है।

प्रत्येक जिले की विचाराधीन समीक्षा समिति निरंतर प्रत्येक सप्ताह मिलते रहेंगे जिससे कि वे जेलों में भीड़ कम करने के लिए नए मानदंडों तैयार करने में सहायता कर सके। इच्छित परिणाम पाने के लिए महानिदेशक (जेल), जेल प्रशासन को निर्देश देगा कि वे विचाराधीन समीक्षा समिति के द्वारा मांगी गई आवश्यक सूचना और डाटा ऑनलाइन प्रदान करते रहेंगे।

संदीप गोयल **महानिदेशक (जेल)**	**सत्य गोपाल** **प्रमुख सचिव (गृह)**	**कंवलजीत अरोड़ा** **सदस्य सचिव** **डीएसएलएसए**

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री हिमा कोहली,
कार्यकारी अध्यक्ष,डीएसएलएसए

यह सत्यापित किया जाता हैं कि दिनांक 28.03.2020 की बैठक के कार्यवृत्त का हिन्दी अनुवाद मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

हिन्दी अनुवादक
डीएसएलएसए